एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
30, **निशांतकुंज, पितमपुरा**,
नई दिल्ली - 110034
फोन : 011 - 47517171
ई-मेल-mail: mka@mkac.in

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
बी-6, **शक्ति नगर एक्सटेंशन**,
नई दिल्ली - 110052
फोन: 011 - 27303078, 42273690
ई-मेल : gandhica@yahoo.com

सीमित समीक्षा रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 63 (2) के साथ पठित विनियम 33 और विनियम 52 की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही दिनांक 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द ''कंपनी'') के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न विवरण की समीक्षा की है। प्रबंधन इस विवरण की तैयारी और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है और इसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। हमारी जिम्मेदारी अपनी समीक्षा के आधार पर इस अंतरिम वित्तीय सूचना पर एक निष्कर्ष व्यक्त करने की है।

हमने अपनी समीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी समीक्षा भागीदारियों पर मानक (एसआरई) 2410, ''निकाय के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा निष्पादित अंतरिम वित्तीय सूचना की समीक्षा'' के अनुसार संचालित की है। इस मानक के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी समीक्षा की योजना और निष्पादन इस ढंग से करें जिससे कि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि अंतरिम वित्तीय सूचना में कोई बड़ी और वास्तविक गलती नहीं है। कोई भी समीक्षा प्राथमिक रूप से कंपनी के कार्मिकों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों तक सीमित होती है और विश्लेष्नात्मक तथा अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए की जाती है। समीक्षा का कार्यक्षेत्र लेखांकन मानकों के अनुसार की जाने वाली किसी लेखापरीक्षा की तुलना में काफी कम होता है और इसके

फलस्वरूप यह हमें इस बात का आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम नहीं बनाती है कि हम ऐसे सभी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जो किसी लेखापरीक्षा में चिह्नित किए जा सकते हैं। तदनुसार, हम कोई लेखापरीक्षा दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते हैं।

ऊपर दिए अनुसार संचालित की गई हमारी समीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं आई है, जो हमें इस बात का विश्वास करने के लिए बाध्य करे कि कंपनी (लेखा नियमावली 2014 के नियम 7 और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन पद्धतियों और नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 25 ''आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग'' में दिए गए मान्यता और मापन संबंधी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न विवरण में सेबी (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 33 के संदर्भ में प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है। इसमें वह ढंग भी शामिल है, जिसके अनुसार इसका प्रकटन किया जाना अपेक्षित है अथवा यह कि इसमें कोई गलत जानकारी निहित है।

कृते एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फर्म पंजीकरण सं. : 001411**एन**
की ओर से

सीए एम के अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 014956

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फर्म पंजीकरण सं. :000458**एन**
की ओर से

सीए राजीव मिनोचा
भागीदार
सदस्यता सं. 083954

तारीख**: 03.11.2017**
स्थान**:** नई दिल्ली

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : http:/www.pfcindia.com							
सीआईएन एल 65910 डीएल1986 जीओआई 024862							
भाग - I : दिनांक 30 सितंबर 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण							
(` करोड़ में)							
विवरण		समाप्त होने वाली तिमाही के लिए			समाप्त होने वाली छमाही के लिए		समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		9/30/2017	6/30/2017	9/30/2016	9/30/2017	9/30/2016	3/31/2017
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालन से प्राप्त राजस्व						
	ब्याज	6,897.06	6,779.82	6,856.90	13,676.88	13,928.95	26,270.08
	अन्य प्रचालन आय	30.47	14.98	44.56	45.45	65.85	129.81
	अन्य वित्तीय सेवाएं	105.89	85.58	26.93	191.47	39.19	316.34
2.	अन्य आय	75.15	51.52	71.37	126.67	124.43	302.34
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**7,108.57**	**6,931.90**	**6,999.76**	**14,040.47**	**14,158.42**	**27,018.57**
4.	व्यय						

	वित्तीय लागतें	4,308.20	4,156.17	3,985.58	8,464.37	8,271.57	16,432.69
	बांड जारी करने संबंधी व्यय	6.35	5.77	7.37	12.12	14.33	26.58
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	36.15	38.44	26.38	74.59	51.64	114.97
	प्रावधान	101.48	392.21	301.01	493.69	501.61	5,101.08
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	20.49	20.49	(0.08)	40.98	(27.02)	(7.51)
	मूल्यह्रास और ऋणमोचन संबंधी व्यय	1.39	1.19	1.35	2.58	2.53	5.56
	सीएसआर व्यय	-	149.21	-	149.21	166.15	166.15
	अन्य व्यय	18.84	15.02	14.16	33.86	23.46	67.79
	पूर्वावधि आइटम (निबल)	0.06	0.01	0.21	0.07	0.43	1.47
	कुल व्यय	**4,492.96**	**4,778.51**	**4,335.98**	**9,271.47**	**9,004.70**	**21,908.78**
5.	**आपवादिक और असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (3-4)**	**2,615.61**	**2,153.39**	**2,663.78**	**4,769.00**	**5,153.72**	**5,109.79**

6.	आपवादिक आइटम	-	-	-	-	-	-
7.	**असाधारण आइटम और कर पूर्व लाभ (5-6)**	**2,615.61**	**2,153.39**	**2,663.78**	**4,769.00**	**5,153.72**	**5,109.79**
8.	असाधारण आइटम	-	-	-	-	-	-
9.	**कर पूर्व लाभ (7-8)**	**2,615.61**	**2,153.39**	**2,663.78**	**4,769.00**	**5,153.72**	**5,109.79**
10.	**कर संबंधी व्यय**						
	(1) चालू कर						
	चालू वर्ष	721.63	737.48	791.18	1,459.11	1,452.78	3,074.39
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	(0.03)	-	(0.03)	(0.09)
	(2) आस्थगित कर देयता (+) / परिसंपत्ति (-)	7.39	(12.68)	(0.79)	(5.29)	115.00	(90.90)
11.	**जारी प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ (हानि) (9-10)**	**1,886.59**	**1,428.59**	**1,873.42**	**3,315.18**	**3,585.97**	**2,126.39**

12.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (`10 के अंकित मूल्य वाला शेयर)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
13.	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च के तुलन पत्र के अनुसार)	--	--	--	--	--	33,830.13
14.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (प्रत्येक ` 10/- के अंकित मूल्य वाला शेयर) (गैर वार्षिकीकृत)						
	(1) आधारभूत (`)	**7.15**	**5.41**	**7.10**	**12.56**	**13.58**	**8.05**
	(2) तनुकृत (`)	**7.15**	**5.41**	**7.10**	**12.56**	**13.58**	**8.05**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन एल 65910 डीएल 1986 जीओआई 024862

भाग - II : दिनांक 30 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण

(` करोड़ में)

विवरण				को समाप्त स्टैंडअलोन अवधि	
				9/30/2017	3/31/2017
				(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
क	इक्विटी और देनदारियां				
	(1)	शेयरधारकों की निधियां			
		(i)	शेयर पूंजी	2,640.08	2,640.08
		(ii)	आरक्षित और अधिशेष निधियां	37,214.76	33,830.13
				39,854.84	36,470.21
	(2)	गैर चालू देनदारियां			
		(i)	दीर्घकालिक ऋण	167,968.89	174,841.36
		(ii)	आस्थगित कर संबंधी देनदारियां (निबल)	245.22	250.51
		(iii)	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	5,971.02	6,142.58
		(iv)	दीर्घकालिक प्रावधान	3,876.46	2,544.96
				178,061.59	183,779.41
	(3)	चालू देनदारियां			
		(i)	अल्पकालिक ऋण	16,181.03	2,400.79
		(ii)	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	24,834.70	25,345.89
		(iii)	अन्य अल्पकालिक देनदारियां	8,363.97	8,420.17

		(Iv)	अल्पकालिक प्रावधान	976.36	1,927.11
				50,356.06	38,093.96
			कुल	**268,272.49**	**258,343.58**
ख	**परिसंपत्तियां**				
	(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
		(i)	स्थायी परिसंपत्तियां		
		क)	मूर्त परिसंपत्तियां (निबल)	62.71	61.88
		ख)	अमूर्त परिसंपत्तियां (निबल)	0.52	0.69
		ग)	विकसित की जा रही अमूर्त परिसंपत्तियां	0.01	0.00
		(ii)	गैर-चालू निवेश	2,265.60	2,265.60
		(iii)	दीर्घकालिक ऋण	218,541.45	200,333.01
		(iv)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	5,448.02	5,450.62
				226,318.31	208,111.80
	(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
		(i)	चालू निवेश	1,284.30	1,325.53
		(ii)	नकद और बैंक में जमा राशियां	9.26	3,573.15
		(iii)	अल्पकालिक ऋण	11,451.24	5,959.20
		(iv)	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	23,525.12	33,876.81
		(v)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	5,684.26	5,497.09
				41,954.18	50,231.78
			कुल	**268,272.49**	**258,343.58**
वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।					

नोट : -	
1.	दिनांक 30.09.2017 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार तैयार किए गए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी क्रमश: दिनांक 30.10.2017 और 03.11.2017 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स एम .के .अग्रवाल एंड कंपनी ,चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।
2.	(क) उपर्युक्त (4) में दिए गए प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) मानक परिसंपत्तियों की बकाया राशि पर चालू तिमाही के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान - 403.12 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के लिए 449.39 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और छमाही के लिए क्रमश : 65.89 करोड़ रूपए और 47.98 करोड़ रूपए) है। (ii) चालू तिमाही के लिए पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति प्रावधान - 788.23 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के लिए 882.84 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और छमाही में क्रमश :78.24 करोड़ रूपए और 29.33 करोड़ रूपए) है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया अर्हक पुनर्गठन /पुनर्अनुसूचियन /पुन :मोलभाव (आर/आर/आर ऋण की राशि निजी क्षेत्र के लिए 17,161.49 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 41,820.67 करोड़ रूपए) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए 19,445.92 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 35994.70 करोड़ रूपए), और (iii) चालू तिमाही के लिए गैर - निष्पादन परिसंपत्ति प्रावधान - 1089.86 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के लिए 838.55 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और छमाही के लिए क्रमश :313.36 करोड़ रूपए और 424.31 करोड़ रूपए) है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार सकल रूप से गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की राशि - 21,504.44 करोड़ रू . (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 30718.61 करोड़ रूपए) है। इन गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) में निजी क्षेत्र के लिए 12321.06 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 23,309.30 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है, जिनमें दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कोई अधिदेय नहीं है और जिन्हें डीसीसीओ से संबंधित आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के

	अनुरूप एनपीए के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। (ख) आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋणकर्ताओं में से एक ऋणकर्ता को चालू तिमाही के दौरान मानक/पुनर्गठित श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। तदनुसार 1,099.12 करोड़ रूपए के एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है और यथालागू परिसंपतत्ति वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक प्रावधान बनाए रखा गया है। (ग) जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है ,तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है और इसके तहत प्रावधान को दिनांक 31.03.2017 को 0.35% से बढ़ाकर 31.03.20178 तक 0.40% तक करने की अपेक्षा है। तदनुसार चालू तिमाही के दौरान प्रो-राटा आधार पर किए जा रहे उपर्युक्त प्रावधान को अब 0.40% तक लाने के लिए तेज किया गया है। तदनुसार चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश : 67.95 करोड़ रूपए और 88.78 करोड़ रू तक घट गया है। (घ) जहां तक आर/आर/आर ऋणों (सभी उत्पादन कंपनियों को दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक) का संबंध है, जिनके संबंध में आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं , चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है, और इसके लिए प्रावधान को 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 4.25% से बढ़ाकर 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। चालू तिमाही के दौरान प्रो-राटा आधार पर किए जा रहे उपर्युक्त प्रावधान को 5% तक बढ़ाने के लिए तेज किया गया है। तदनुसार चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश :293.83 करोड़ रूपए और 393.48 करोड़ रूपए तक घट गया है। इसके अलावा, आरबीआई की एसडीआर संबंधी शर्तों के अनुसार पुनर्गठित किसी ऋण परिसंपत्ति के मामले में कंपनी को संदर्भित तारीख से 18 माह की अवधि समाप्त होने तक अवशिष्ट बकाया ऋण पर कम-से-कम 15% का प्रावधान बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार दिनांक 31.1.2018 तक 15% के प्रावधान तक पहुंचने के लिए चालू तिमाही और छमाही के दौरान प्रो-रेटा आधार पर क्रमश: 29.93 करोड़ रूपए और 59.86 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (ड) पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कंपनी ने दिनांक 30.06.2017 को

	समाप्त तिमाही में आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुरूप अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया था। तदनुसार, (i) 421.16 करोड़ रूपए की ऋण राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप : - चालू तिमाही के लिए 0.99 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के लिए 7.64 करोड़ रूपए की ब्याज से होने वाली आय संचित हुई और जिसे वसूल नहीं किया जा सका, को मान्यता नहीं दी गई है; और - चालू तिमाही के दौरान 3.64 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के दौरान 40.64 करोड़ रूपए राशि वाले ऐसे ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (ii) 522 करोड़ रूपए की बकाया राशि वाली एक मानक परिसंपत्ति को पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू तिमाही के दौरान 2.94 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के दौरान 24.27 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (च) दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार 2681.77 करोड़ रूपए की राशि वाली दो ऋण परिसंपत्तियों, जिन्हें मानक/ पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, के मामले में एस4ए योजना को फिर से बहाल किया गया है। योजना को अंतिम रूप दिए जाने का निर्णय लंबित होने के कारण इन खातों में किए गए प्रावधान को चालू तिमाही में 10% तक बढ़ा दिया गया है, इसके फलस्वरूप 222.29 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है। (छ) उपर्युक्त 2 (क) में दी गई टिप्पणी के प्रावधान में उपर्युक्त नोट 2 (ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) में उल्लिखित प्रावधानों का प्रभाव शामिल है।
3.	दिनांक 15.04.2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायाल, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन :वर्गीकृत किया गया। मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है

	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही से कंपनी ने संचित आय को मान्यता नहीं दी है, बल्कि इस खाते में वसूल न की गई आय के रूप में बनी हुई है। तत्पश्चात, (i) चालू तिमाही और छमाही के दौरान क्रमश: 82.89 करोड़ रूपए और 159.50 करोड़ रूपए की संचित और वसूल न की गई बकाया ब्याज/आय की राशि को मान्यता नहीं दी गई है; और (ii) विवेकाधिकार / सावधानी के मामले के रूप में चालू तिमाही के दौरान इस खाते में प्रावधान को 10% तक बढ़ा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.09.2017 को समाप्त तिमाही और छमाही में 311.74 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा और इस प्रकार दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कुल प्रावधान 515.29 करोड़ रूपए (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 163.17 करोड़ रूपए) हो गया है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक बनाए हुए है।
4.	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। तत्पश्चात दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 578.54 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 647.56 करोड़ रूपए) है।
5.	कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 03.11.2017 को आयोजित अपनी 367 वीं बैठक में प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 60% की दर से एक अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10/- रूपए के इक्विटी शेयर पर 6 रूपए की दर से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1584.05 करोड़ रूपए की राशि का लाभांश घोषित किया।
6.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) के अंतर्गत यथावश्यक विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	**30.09.2017**	**31.03.2017**
(i) कर्ज इक्विटी अनुपात	5.24	5.55

(ii) बकाया रिडिम किए जाने योग्य वरियता शेयर	-	-
(iii) डिवेंचर रिडेंपशन रिजर्व (करोड़ रूपए में)	1,580.90	1,434.17
(iv) निबल मूल्य (करोड़ रूपए में)	39,854.84	36,470.21

(v) कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम) बैंक ऋण सहित (के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश: सीआरआईएसआईएल एएए, आईसीआरए एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। कंपनी के अल्पकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम) बैंक ऋण सहित (को घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश :सीआरआईएसआईएल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा कंपनी को दी गई दीर्घकालिक मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमश: बीएए3, बीबीबी -और बीबीबी -दी गई हैं। वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vi) कंपनी अपरिवर्तनीय बांड इश्यू की सीरिज के साथ विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियां बढ़ाती रही हैं। दिनांक 30.09.2017 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान कंपनी ने अपनी ऋण सेवाएं प्रदान करने में कोई चूक नहीं की है। जहां तक अपरिवर्तनीय रूपया मूल्य वर्ग बांड का संबंध है ,तो ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए पूर्ववर्ती देय तिथि क्रमश: दिनांक 26.09.2017 और 25.08.2017 थी।

7. कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बांड और दिनांक 30.09.2017 को बकाया राशियों के लिए विशेष अचल संपत्तियों को बंधक बनाकर और/अथवा कंपनी को प्राप्त होने वाले प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

8. व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे लेखांकन मानक 17-के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार खंड के रूप में माना जाता है। अत :इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

9.	दिनांक 30.09.2017 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।
10.	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन :समूहबद्ध /पुन :वर्गीकृत किया गया।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 09.11.2016

राजीव शर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00973413